कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 414/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 31.10.2026

थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

☐ पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या हेतु प्रेरित करने के मामले में वांछित पति गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.10.2026 को थाना तहबरपुर पर भीमा यादव निवासी ग्राम भवतर चक, थाना गम्भीरपुर द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री खुशबू यादव की शादी दिनांक 10.05.2022 को विपिन यादव निवासी ग्राम मदारपुर, थाना तहबरपुर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था तथा आए दिन गाली-गलौज, मारपीट एवं विवाद किया जाता था। दिनांक 28.10.2026 को भी मारपीट कर मोबाइल छीन लिया गया तथा मृतका को मायके के पंचायत भवन पर छोड़ दिया गया। पति द्वारा बार-बार आत्महत्या करने के लिए कहे जाने से आहत होकर खुशबू अपने दोनों बच्चों के साथ रानी की सराय हाल्ट पर ट्रेन के आगे कूद गई, जिससे तीनों की मृत्यु हो गई।

इस संबंध में थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 162/2026, धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पति विपिन यादव एवं उसके परिवार के अज्ञात सदस्यों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष तहबरपुर आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 31.10.2026 को थाना तहबरपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विपिन यादव को उसके घर ग्राम मदारपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विपिन यादव पुत्र मान सिंह यादव, निवासी ग्राम मदारपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 162/2026, धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूर्यपाल, थाना तहबरपुर।
2. का0 सुविन्द्र कुमार गुप्ता, थाना तहबरपुर।
3. का0 विशाल कुमार यादव, थाना तहबरपुर।

☐ थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा चोरी एवं नकबजनी के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में 04 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.01.2026 को थाना कप्तानगंज क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अवैध तमंचा, कारतूस, नकबजनी के औजार एवं चोरी का सामान बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 35/2026 धारा 3(5), 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम के तहत पांच अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरांत उनके विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जबकि अभियुक्त रवि कुमार उर्फ रविराम वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष तहबरपुर आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.10.2026 को थाना कप्तानगंज के मुकदमे में वांछित अभियुक्त रवि कुमार उर्फ रविराम को उसके घर ग्राम डाही शम्भूपुर, थाना अहिरौला से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रवि कुमार उर्फ रविराम पुत्र दयाराम उर्फ दाढ़ी, निवासी ग्राम डाही शम्भूपुर, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 35/2026 धारा 3(5), 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 20/2026 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस, थाना अहरौला।
2. मु0अ0सं0 33/2026 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस, थाना कप्तानगंज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. थानाध्यक्ष आदित्य कुमार सिंह, थाना तहबरपुर।
2. का0 अरविन्द कुमार, थाना तहबरपुर।
3. का0 हरिभजन, थाना तहबरपुर।
4. का0 यशपाल यादव, थाना तहबरपुर।
5. म0का0 गीता मौर्य, थाना तहबरपुर।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

☐ मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) कार्यालय के नाम पर कूटरचित नियुक्ति पत्र जारी कर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी सुनील कुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), आजमगढ़ मण्डल द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा उक्त कार्यालय के नाम पर कूटरचित तरीके से फर्जी नियुक्ति पत्र एवं आदेश जारी किए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 443/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।
गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सिधारी के निर्देशन में दिनांक 31.10.2026 को उ0नि0 मृत्युंजय सिंह मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रितेश मणि त्रिपाठी को होमगार्ड ग्राउंड के पास से समय करीब 11:25 बजे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-
रितेश मणि त्रिपाठी पुत्र सुभाष चन्द्र मणि त्रिपाठी, निवासी सवायां टोला मउववा, थाना कसया, जनपद कुशीनगर, वर्तमान पता कमिश्नरी कार्यालय के सामने, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 46 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 443/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 मृत्युंजय सिंह, थाना सिधारी।
2. का0 अवधेश गुप्ता, थाना सिधारी।
3. का0 रणवीर यादव, थाना सिधारी।

थाना कोतवाली

☐ दुकानदार पर जानलेवा चाकू से हमला करने के मामले में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 30.10.2026 को वादी गुड्डू कुमार सोनकर निवासी मुहल्ला पहाड़पुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि उनके भाई मनोज सोनकर अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान राहुल मोदनवाल एवं एक अन्य युवक के बीच हो रहे विवाद में उनके भाई द्वारा बीच-बचाव किया गया। आरोप है कि इसके बाद राहुल मोदनवाल ने मिंटू मोदनवाल एवं उसके दामाद अमित मोदनवाल के कहने पर मनोज सोनकर पर जान से मारने की नीयत से चाकू से गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 565/2026 धारा 109(1), 352, 3(5) बीएनएस एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.10.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, चौकी प्रभारी पहाड़पुर मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तों 1. अमित मोदनवाल एवं 2. मिंटू मोदनवाल को मुकेरीगंज से समय करीब 13:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता-
1. अमित मोदनवाल पुत्र अनिल मोदनवाल, निवासी सुभाष चन्द्र बोस नगर, कस्बा महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. मिंटू मोदनवाल पुत्र स्व0 बैकुंठ, निवासी पहाड़पुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 565/2026 धारा 109(1), 352, 3(5) बीएनएस एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, चौकी प्रभारी पहाड़पुर।
2. हे0का0 सुरेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली।
3. का0 पिन्टू यादव, थाना कोतवाली।